हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा0 पत्र संख्याः– 388/2023 उनवान मन्नूसिंह बनाम भूमिधारी	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

27/6/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनु. अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.नं. 2812/669 रकबा 1.3700 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 17.04.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 2812/669 रकबा 1.3700 हैक्ट. प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं 2812/669 रकबा 1.3700 हैक्ट. की प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.04.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौरान पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से ... दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:45:45 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner